

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2320
06 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

देश में इस्पात उत्पादन में सुधार

2320. श्री तनुज पुनिया:

श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

श्री इमरान मसूद:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार ने देश में 2030 तक इस्पात उत्पादन क्षमता का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;
- (ख) यदि हां, तो देश में इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस्पात उत्पादन में ऊर्जा-कुशल और नवीन प्रौद्योगिकियों के अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए कौन से प्रोत्साहन या योजनाएं शुरू की गई हैं; और
- (घ) सरकार उत्पाद की गुणवत्ता, दक्षता और लागत अनुकूलन में सुधार करने के लिए इस्पात उद्योग में अनुसंधान और विकास प्रयासों को किस सीमा तक समर्थन दे रही है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। वर्ष 2030-31 के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 के तहत अनुमानित इस्पात उत्पादन/ क्षमता निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	मापदंड	अनुमान (2030 – 31) (मिलियन टन में)
i.	कुल कूड इस्पात क्षमता	300
ii.	कुल कूड इस्पात उत्पादन	255
iii.	कुल तैयार इस्पात उत्पादन	230

जारी....2/-

एक सुविधाप्रदाता के रूप में सरकार ने देश में इस्पात के उत्पादन और खपत में सुधार लाने के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद नीति (डीएमआईएंडएसपी) का कार्यान्वयन ।
- ii. सरकार ने देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। पीएलआई योजना के तहत विशेष इस्पात हेतु 29,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश और विशेष इस्पात के लिए लगभग 25 मिलियन टन (एमटी) की अतिरिक्त क्षमता का सृजन अनुमानित है।
- iii. भारतीय इस्पात को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, बजट 2024 में, फेरो निकल, जो एक कच्चा माल है, पर मूल सीमा शुल्क 2.5 % से घटाकर शून्य करते हुए इसे शुल्क मुक्त कर दिया है जबकि फेरस स्क्रैप पर शुल्क की छूट को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
- iv. इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2024 को लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 16 सुरक्षा दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं। यह प्रक्रिया और कार्यस्थल आधारित सुरक्षा दोनों को कवर करते हैं। इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और कार्यस्थल सुरक्षा के माध्यम से उत्पादकता में सुधार आएगा।
- v. घरेलू इस्पात उद्योग से संबंधित समस्याओं के समाधान तथा आयात की अधिक प्रभावी निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को नया रूप दिया गया और एसआईएमएस 2.0 को दिनांक 25.07.2024 को लॉन्च किया गया।
- vi. 'मेक इन इंडिया' पहल और प्रधानमंत्री गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संभावित उपयोगकर्ताओं के साथ और अधिक सहभागिता के माध्यम से मदद कर रहा है।
- vii. इस्पात विनिर्माण हेतु अधिक अनुकूल शर्तों पर कच्चे माल की उपलब्धता को और अधिक सुगम बनाने के लिए अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों व राज्यों के साथ समन्वय करना।
- viii. घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

- ix. आम जनता को बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए भारतीय मानकों के अंतर्गत 145 इस्पात उत्पादों के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित करना।

सरकार ने इस्पात उत्पादन में ऊर्जा दक्षता और नवाचारी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:-

- i. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन तथा उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को अधिसूचित किया है। इस्पात क्षेत्र को भी इस मिशन में एक हितधारक बनाया गया है।
- ii. इस्पात क्षेत्र के अकार्बनीकरण हेतु विभिन्न पद्धतियों पर विचार-विमर्श और सिफारिश करने के लिए उद्योग, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, एस एंड टी निकायों, विभिन्न मंत्रालयों तथा अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए 14 कार्यबलों का गठन किया गया है।
- iii. इस्पात मंत्रालय प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और भारतीय इस्पात कंपनियों को लौह एवं इस्पात क्षेत्र के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु "लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन" नामक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है:-

(क) ऊर्जा दक्षता में सुधार।

(ख) जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए जीएचजी उत्सर्जन में कमी।

(ग) इस्पात उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार।

(घ) लौह एवं इस्पात उद्योग के समक्ष आने वाले प्रौद्योगिकीय मुद्दों का समाधान करना।

(ङ) बेहतर उत्पादकता के लिए लौह अयस्क और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों का लाभ (बेनीफिसिएशन)।

(च) अपशिष्टों का उपयोग।

(छ) आयात प्रतिस्थापन के लिए मूल्यवर्धन का विकास।
